

प्रेस रिलीज़

नई दिल्ली

5 दिसंबर, 2019

**नागरिकता संशोधन बिल एक असंवैधानिक कदम: पॉपुलर फ्रंट  
सेक्युलर पार्टियां संसद में बिल पारित होने से रोकें, जनता इस प्रस्ताव का विरोध करे**

केंद्रीय मंत्रीमंडल ने विवादित एवं विभाजनकारी नागरिकता संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसने बिल को संसद में पेश करने का रास्ता साफ कर दिया है। कैबिनेट की इस मंजूरी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार को संविधान की कोई परवाह नहीं है।

प्रस्तावित संशोधन के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के हिंदुओं, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन लोग भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भाजपा सरकार ने मुसलमानों को सूची से बाहर करके अपना असली सांप्रदायिक चेहरा दिखाया है। केवल प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को यह अवसर प्रदान करने का सरकार का दावा सरासर धोखे पर आधारित है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, रोहिंग्या मुसलमान सबसे अधिक उत्पीड़ित जातीय अल्पसंख्यक हैं। दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान की सीमाएँ भारत से नहीं मिलतीं, जबकि म्यांमार की सीमाएँ भारत से मिली हुई हैं।

नागरिकता देने के लिए धर्म कोई मापादंड नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा करके भाजपा सरकार ने भारत के संविधान की धारा 5-10, धारा 15 और 29 का उल्लंघन किया, जिनमें विभिन्न प्रकार के लोगों का विवरण दिया गया है जो नागरिकता के हकदार हैं। सरकार का यह कदम धारा 14 के भी खिलाफ है, जिसमें सभी के लिए समान अधिकारों की बात की गई है।

पूर्व एनडीए सरकार द्वारा जनवरी 2018 में लोकसभा में पारित बिल को उत्तरी राज्यों के विरोध के कारण राज्यसभा में पेश नहीं किया गया, विरोध करने वालों में भाजपा के सहयोगी दल भी शामिल थे। इन क्षेत्रों में बिल का विरोध अभी भी जारी है, लेकिन सरकार इसे दोबारा पेश करने की जल्दबाजी में है।

पॉपुलर फ्रंट केंद्रीय मंत्रीमंडल से संसद में बिल पेश करने के अपने फैसले को वापस लेने की मांग करता है और साथ ही नागरिक समाज की सभी सेक्युलर एवं लोकतांत्रिक ताकतों से अपील करता है कि वे इस प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ आगे आएँ, जो कि हमारे संविधान के मूल सिद्धांत के खिलाफ है।

डॉ० मोहम्मद शमून

डायरेक्टर, मीडिया एवं जनसंपर्क

मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली